डी. ओ. सं. ए-42011/1/2013- समन्वय

नवंबर, 2013

प्रिय महोदय,

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में नवंबर, 2013 हेतु महत्वपूर्ण नीति निर्णयों/घटनाओं का मासिक सार निम्न प्रकार हैः-

1. **महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामलेः**

दिनांक 30/10/2013 को आयोजित कैबिनेट बैठक में "जयपुर मेट्रो फेस-I" पर कैबिनेट नोट पर चर्चा हुई। बैठक का कार्यवृत्त अपेक्षित है।

2. बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना फेस-2 के प्रस्ताव पर पीआईबी की बैठक दिनांक 25/06/2013 में चर्चा की गई। पीआईबी के कार्यवृत्त दिनांक 23/08/2013 में, पीआईबी ने अनुशंसा की है कि प्रस्ताव को कैबिनेट/मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) को विचारार्थ भेजा जा सकता है। तदनुसार, मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह हेतु मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (एमआरटीएस) पर मसौदा नोट के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को दिनांक 14/10/2013 को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था। व्यय विभाग ने दिनांक 23/10/2013 को अपनी टिप्पणी में अवगत कराया कि कैबिनेट सचिवालय के पत्र संख्या 1/13/2/2008-कैब दिनांक 25/03/2008 के अनुसार, मसौदा केबिनेट नोट को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा जा सकता है। दिनांक 28/10/2013 को आयोजित बैठक में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह हेतु एमआरटीएस पर मसौदा नोट को तैयार करने के कारणों की व्याख्या व्यय विभाग को की गई। दिनांक 28/10/2013 को हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में और विलंब को दूर करने के लिए, प्रस्ताव पर मसौदा कैबिनेट नोट को पुनः वित्त विभाग को 31/10/2013 को टिप्पणी हेतु भेजा गया।

3. बैंगलोर मेट्रो रेल निगम की 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25/10/2013 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई।

4. वित्त मंत्री के बजट भाषण, 2013-14 के दौरान आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 10,000 बसों को स्वीकृति देने हेतु की गई घोषणा का अनुपालनः

वित्त मंत्री के बजट भाषण, 2013-14 के दौरान आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत पहाड़ी राज्यों हेतु खासकर आवश्यक अधोसंरचना के साथ 10,000 बसों को स्वीकृति देने हेतु की गई घोषणा के अनुपालन में, शहरी विकास मंत्रालय ने अब

तक रु.2605.76 करोड़ की कुल आंकलित परियोजना लागत के साथ 6087 बसों की स्वीकृति दी है, जिसमें 9 राज्यों/69 शहरों को शामिल किया गया है।

5. टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजना (एसयूटीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हेतु टूल किट्स के वैद्यीकरण/शहर के अधिकारियों का प्रशिक्षणः

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन विभिन्न विषय माड्यूल्स तथा टूलकिट्स के वैद्यीकरण हेतु टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजना (एसयूटीपी) के अंतर्गत किया जा रहा है जिसे भारत सरकार द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), यूएनडीपी और विश्व बैंक के सहयोग से क्षमता निर्माण हेतु प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी परिवहन संरचना और सेवाओं को इस प्रकार से सुविधा प्रदान करना है जो कि एक तरह से सतत विकास के अनुरूप हो; और शहर के अधिकारियों हेतु शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 22 से 25 अक्टूबर, 2013 के बीच पुणे में किया गया।

6. **स्थायी सिटी बस परिवहन प्रणाली पर सलाहः**

मंत्रालय ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को स्थायी सिटी बस परिवहन प्रणाली पर एक सलाह जारी की है जिससे कि स्थायित्व को प्राप्त कर रहे शहरों हेतु सिटी बस सेवा को सशक्त किया जा सके। सलाह का प्रमुख जोर विशेष उद्देश्य वाहन/सिटी बस ऑपरेटर द्वारा सिटी बस सेवाओं में परिचालनगत घाटे को कम करना है।

7. राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 की समीक्षा को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लिया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 की समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में किया गया।

8. कानून तैयार करने शहरी परिवहन/शहरी गतिशीलता हेतु कार्य समूह की दूसरी बैठक विशेष कार्याधिकारी (यूटी)/ई.ओ. संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गई।

9. **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के एक घटक शहरी अधोसंरचना और अभिशासन (यूआईजी) के अंतर्गत कार्रवाई के प्रमुख बिन्दुः**

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहर विकास योजनाओं (सीडीपी), समझौता ज्ञापन (एमओए), और केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक के संबंध में प्रगति रिपोर्ट **अनुलग्नक-I** में रखी गई है।

कैबिनट के निर्णयों की अनुपालन की स्थिति/कैबिनेट समितियों के कार्यान्वयन हेतु लंबित का विवरण पृथक तौर पर भेजा जा रहा है।

10. माह अक्टूबर, 2013 में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में **लक्ष्यों के सापेक्ष कार्यप्रदर्शन** को **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है।

11. अन्य क्षेत्रों अर्थात क्र.सं. (iii) और (v) जिसे कैबिनेट सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1/81/19/2007-सीए-IV दिनांक 24.09.2007 में इंगित के संबंध में प्रतिवेदन करने हेतु कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।

12. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर इस मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी को पृथक तौर पर भेजा जाएगा।

सादर,

भवदीय,

(सुधीर कृष्णा)

संलग्नकः उपरोक्त

श्री ए.के. सेठ,
कैबिनेट सचिव,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः-

1. श्री पुलोक चटर्जी,
   प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव,
   साउथ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव,
3. राज्यमंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव।
4. एनआईसी (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

(सुधीर कृष्णा)

अनुलग्नक-I

माह अक्टूबर, 2013 हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत हुई प्रगति

मद	सितम्बर, 2013 तक स्थिति	अक्टूबर, 2013 के दौरान स्थिति	अब तक की स्थिति
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठकें (31/03/2012 तक अनुमोदित जारी परियोजनाएं)			
i. **आयोजित बैठकों की संख्या**	126	2	128*
ii. **अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	572(539)	0	572(539)**
iii. **संपन्न परियोजनाओं की संख्या**	212	5	217
iv. **वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।**	19,954.48 करोड़ रुपए	86.00# रुपए	20,040.48 करोड़ रुपए
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठकें (मार्च 2013 से ट्रांजिशन फेस)			
v. **अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	21	7	28
vi. **वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।**	142.48 करोड़ रुपए	0	142.48 करोड़ रुपए
सकल योग			
vii. **अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	593(560)	7	600(567)
viii. **वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।**	20,096.96 करोड़ रुपए	86.00# रुपए	20,182.96 करोड़ रुपए

सितंबर 2013 में रु. 86 करोड़ जारी पर इसके संबंध में जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2013 में प्राप्त हुई, इसलिए इसे अक्टूबर, 2013 में शामिल किया गया है।

* दिनांक 04/06/07, 13/06/07 एवं 02/06/10 को आयोजित तीन विशेष सीएसएमसी बैठकों को मिलाकर

** अब तक कुल 600 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है (दिनांक 29/09/07 को आयोजित सीएसएमसी की 56वीं बैठक में एक परियोजना को वापस ले लिया गया)। दो परियोजनाओं को सीएसएमसी की दिनांक 22/01/10 को आयोजित 81वीं बैठक में वापस ले

लिया गया। दिनांक 05/03/10 को आयोजित सीएसएमसी की 83वीं बैठक में एक परियोजना को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 21/05/10 को आयोजित 86वीं बैठक में वापस ले लिया गया।

दो परियोजनाओं को सीएसएमसी की दिनांक 20/08/2010 को आयोजित 89वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 12/11/2010 को आयोजित सीएसएमसी की 91वीं बैठक में पांच परियोजनाओं को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 17/08/2011 को आयोजित 93वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 12/04/2012 को आयोजित बैठक में दिल्ली की पांच परियोजनाओं को जीएनसीटीडी द्वारा छोड़ दिया गया। दिनांक 12/07/2012 को आयोजित सीएसएमसी की 110वीं बैठक में पश्चिम बंगाल की दो परियोजनाओं को राज्य द्वारा छोड़ दिया गया। दिनांक 26/12/2012 को आयोजित सीएसएमसी की 115वीं बैठक में गुजरात की एक परियोजना को राज्य द्वारा छोड़ दिया गया। सीएसएमसी की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 30/10/2012 को आयोजित 113वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 04/09/2013 को आयोजित सीएसएमसी की 125वीं बैठक में 10 परियोजनाओं को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 16/09/2013 को आयोजित 126वीं बैठक में वापस ले लिया गया। इस प्रकार कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या 567 है; जिसमें 45 नई परियोजनाएं शामिल है जिन्हें ट्रांजिशन फेस के दौरान 119वीं सीएसएमसी से 128वीं सीएसएमसी के बीच स्वीकृत किया गया है।

****

अनुलग्नक II:

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसंबर, 2013 तक का कार्यप्रदर्शन

कार्यक्रम	कैबिनेट अनुमोदन	कार्यान्वयन की अवधि	कुल परिव्यय (रु. करोड़ में)	बजट 2013-14	लक्ष्य	उपलब्धि
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)	फरवरी, 2009	2009-15	1371.4	50 करोड़	कार्यों का कार्यान्वयन वित्तांश-II का कार्यान्वयन	**वित्तांश - I परियोजनाएं** आईजॉल जल आपूर्ति हेतु निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शिलॉंग, कोहिमा, अगरतला और सिक्किम में अन्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2015 में पूर्ण करना निर्धारित किया गया है। **वित्तांश-II** 1. अगरतलाः 8 ठेके प्रदान किए गए हैं; तकनीकी मूल्यांकन, के अंतर्गत 1 पैकेज। 2. आईजॉल परियोजना – सभी 10 ठेके प्रदान किए गए है। 3. गंगटोकः 5 पैकेजेस प्रदान किए गए हैं। 2 पैकेजेस की फिर से बोली लगाए जाए। 4. कोहिमा - 1 ठेका प्रदान किया गया। 5. शिलॉंग - 2 ठेका प्रदान किया गया। 1 बोली कार्यान्वयन के अधीन है।

कार्यक्रम	कैबिनेट अनुमोदन	कार्यान्वयन की अवधि	कुल परिव्यय (रु. करोड़ में)	बजट 2013-14	लक्ष्य	उपलब्धि
शहरी विकास और लोक निर्माण से संबंधित मामलों पर सहयोग हेतु दक्षिण अफ्रिका गणतंत्र सरकार और भारत सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।	24/01/2012	6 महीने के भीतर	-	-	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	परस्पर सुविधाजनक तिथि और स्थान के चयन को अंतिम रूप देने के लिए विचार किया जा रहा है।
सात मेगा शहरों के सैटेलाइट टाउन्स में अधोसंरचना विकास हेतु योजना (यूआईडीएसएसटी)	जुलाई, 2009	2009-17	500	78.00 करोड़ रु.	चालू परियोजनाओं के लिए फंड जारी	योजना के अंतर्गत, 17 परियोजनाएं प्रगति पर है, वसई विरार, सोनीपत, विकाराबाद, पिल्खुआ, सानंद, श्रीपेरम्बदुर और होस्कोटे नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और भूमिगत सिवेज योजना प्रगति पर है। कुल वित्तीय परिव्यय रु. 500 करोड़ में से रु. 220.64 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है और स्थायी देयताएं रु. 279.35 करोड़ की हैं।